समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

–: आदेश :–

दिनांक–18.03.16 को आवेदिका शोभा देवी, पति– श्री ओमप्रकाश मेहता, ग्राम– चौसा पश्चिमी, वार्ड नं0– 02, प्रखण्ड–चौसा, जिला–मधेपुरा द्वारा जिलाधिकारी महोदय को आवेदन समर्पित किया गया। आवेदिका द्वारा शिकायत किया गया है कि वर्ष 2014 में बाल विकास परियोजना कार्यालय चौसा द्वारा चौसा पश्चिमी वार्ड नं0– 02 में सेविका पद हेतु तैयार मेधा सूची के क्रमांक– 01 की अभ्यर्थी का चयन न करते हुए क्रमांक 4 की अभ्यर्थी निरूपा रानी, पति–अखिलेश कुमार यादव का चयन किया गया जो सरासर विभागीय नियम के विरूद्ध है।

इस संबंध में अनुमंडल कार्यालय, उदाकिशुनगंज, के पत्रांक–781–2 दिनांक–15.02.16 द्वारा एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय, चौसा के पत्रांक–148 दिनांक–11.05.16 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक– 22.08.13 को इस कार्यालय के पत्रांक– 559–2 दिनांक–24.07.13 के आलोक में सेविका के नियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज की अध्यक्षता में अनुश्रंवण समिति की बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि "पंचायत चौसा पश्चिमी, वार्ड नं0–02 में औपबंधिक मेधा सूची में अतिपिछड़ा वर्ग बाहुल्य है। जिसकी जाँच करने का आदेश महिला पर्यवेक्षिका, कुमारी साक्षी को दिया गया था, जिसमें त्रुटियों को दूर करने के बाद बाहुल्यता पिछड़ा वर्ग पाया गया। इस संबंध में समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वार्ड न0–02 का पुनः मैपिंग दूसरी सेविका से कराया जाएगा। तत्पश्चात् चयन की प्रकिया आगे बढ़ाई जाएगी।"

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चौसा एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चौसा के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती शोभा देवी, पति– श्री ओमप्रकाश मेहता वार्ड न0–02, पं0+प्रखण्ड– चौसा का नाम मैपिंग पंजी में क्रमांक– 244 पर अंकित है। दिनांक–23.06.14 को चरवाहा विद्यालय में आयोजित आमसभा में तैयार मेधा सूची में प्रथम स्थान पर श्रीमती शोभा देवी का नाम अंकित है। इस आमसभा में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं दिया गया। आम सभा की कार्यवाही पंजी के अंत में यह वर्णित है कि अनुश्रवण समिति से पारित होने के बाद ही श्रीमती शोभा देवी को चयन पत्र निर्गत किया जाएगा। दिनांक–09.08.14 यानि डेढ़ महीने बाद मेधा पैनल के क्रमांक–02 की अभ्यर्थी निरूपा रानी ने आपत्ति दर्ज कराई और इसी आधार पर शोभा देवी को चयन से वंचित कर दिया गया।

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि "इस नियुक्ति में मेधा सूची एवं अनुश्रवण समिति द्वारा लिए गए निर्णय को नजरअंदाज करते हुए सरकारी प्रावधान के प्रतिकूल कम अंक वाले अभ्यर्थी का चयन किया गया है जिसके लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर कार्रवाई करते हुए इस नियुक्ति को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।"

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार **(संचिका सं0– xxi-25/2016 टिप्पणी पृष्ट सं0– 06/टि0)** श्रीमती निरूपा रानी, पति– श्री अखिलेश कुमार यादव, ग्राम पं0– चौसा पश्चिमी, वार्ड नं0– 02, प्रखण्ड– चौसा, जिला– मधेपुरा के चयन को रद्द् करते हुए बाल विकास

परियोजना पदाधिकारी, चौसा को निदेश दिया जाता है कि मार्गदर्शिका 2011 के कंडिका 8.14 का अनुपालन करते हुए मेधा पैनल के प्रथम अभ्यर्थी श्रीमती शोभा देवी, पति ओम प्रकाश मेहता का चयन करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितो को दी जाय।

ह0
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक..817.....प्रो0 मधेपुरा, दिनांक-...30./..6../2016

प्रतिलिपि :- श्रीमती निरूपा रानी, पति- अखिलेश कुमार यादव, ग्राम पं0- चौसा पश्चिमी, वार्ड नं0- 02, प्रखण्ड- चौसा, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्रीमती शोभा देवी, पति- ओमप्रकाश मेहता, ग्राम पं0- चौसा पं0, वार्ड नं0-02 प्रखण्ड- चौसा, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं इस आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ।

30.06.16
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा .